

**Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation
Limited, Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005**

File No: IPI/P.5/341/2025

Date: 13.06.2025

ORDER (15/2025)

Sub: Allotment of land/plot for setting up of Logistics on planned plots/land in industrial areas under Direct Allotment Policy-2025.

The Management of the Corporation in continuation of Order (2/2025) issued vide no. IPI/P.5/337/2025 dated 14.03.2025 and Order (11/2025) issued vide no. IPI/P.5/337/2025 dated 30.04.2025 has decided to make following insertion of new Sub-Rule 6(xiv) in Direct Allotment Policy-2025:

नियम	वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधित नियम
3(AJ)	“राइजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र (आरक्षित भूखण्डों सहित) में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 (Direct Allotment Policy-2025)	“राइजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र (आरक्षित भूखण्डों सहित) में आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 (Direct Allotment Policy-2025)
6(xiv)		लॉजिस्टिक्स भूखण्ड भी प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली-2025 में शामिल होंगे। लॉजिस्टिक भूखण्डों के लिए रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 3(आर) एवं 3(एजे) के अनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 और रीको भूमि निपटान नियम, 1979 के नियम 3(आर) के प्रावधानों में असंगतता है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए भूमि/भूखंड के आवंटन के संबंध में नियम 3(आर) के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

This bears approval of Chairman of the Corporation.

(Subhash Maharia)

Advisor (Infra)

Copy to:

1. units@riico.co.in

2. staff@riico.co.in